छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर

क्रमांक/एफ 5–22/2019/10–2 अटल नगर, रायपुर, दिनांक 24/07/2020

प्रति,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

छत्तीसगढ़, अरण्य भवन, सेक्टर–19

नवा रायपुर, अटल नगर, ।

विषयः– **Diversion of Forest land for Non-Forest under Forest Conservation Act 1980 Proposed for Govt. Polytechnic Building for Skill upgradation Area 4.309 ha.**

संदर्भः– **अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–720/1247 दिनांक 27.06.2020।**

––00––

कृपया संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें ।

2/– विषयांकित प्रस्ताव के परीक्षण में निम्न बिन्दुओं पर त्रुटियां परिलक्षित हो रही है :–

1. प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक–45 में लेख अनुसार, विषयांकित गैर वानिकी कार्य के विरूद्ध वैकल्पिक वृक्षारोण हेतु दुगुने नारंगी वन भूमि नारंगी वन खण्ड सिरसिदा (अ), कक्ष क्रमांक 1474 को प्रस्तावित किया गया है । भारत सरकार के दिशा–निर्देश पुस्तिका के अध्याय–2 के पैरा 4.1 अनुसार वन विभाग के अधिपत्य में लिये गये क्षेत्र को वैकल्पिक वृक्षारोपण प्रस्तावित नही किया जा सकता है ।

   अतः कृपया वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के प्रशासकीय नियंत्रण के बाहर के भूमि पर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना प्रस्तावित करें।

2. भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश पुस्तिका के चेप्टर 4 में उल्लेखित बिन्दु क्र. 4.1 (e) अनुसार राज्य सरकार को सामान्य अनुमोदन के तहत अनुमति का अधिकार निम्न शर्त के अधीन दिया गया है :–

   Forest land to be used shall be restricted to the bare minimum and shall be used only when it is unavoidable.

(क्रमशः)

प्रकरण में चूंकि आवेदक संस्थान को पूर्व में वन अधिकार अधिनियम के तहत वन मंडलाधिकारी कांकेर द्वारा अपने आदेश क्रमांक/मा.चि./2013/4733 दिनांक 03.05.2013 के माध्यम से 0.99 हे. वन भूमि में Polytechnic for Skill of Upgradation and Vocational Training संबंधी गैर वानिकी कार्य हेतु अनुमति प्रदाय किया गया है। उपरोक्त अनुमति के पश्चात् प्रस्ताव में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के पत्र दिनांक 27.06.2020 के बिन्दु क्रमांक–4 में लेख अनुसार शासकीय Polytechnic भवन एवं पहुंच मार्ग का निर्माण पूर्ण हो चुका है । विषयांकित प्रकरण में पूर्व में वनमंडलाधिकारी द्वारा प्रदायित 0.99 हे. वन भूमि के साथ–साथ Polytechnic College से जुडे अन्य रिहायशी निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि चाही गई है।

अतः भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा–निर्देश पुस्तिका के चेप्टर 4 में उल्लेखित बिन्दु क्र. 4.1 (e) (न्यूनतम वन भूमि उपयोगिता) के अंतर्गत पर तथ्यात्मक टीप प्रेषित करें ।

3/– आदेशानुसार निवेदन है कि कृपया उक्त बिन्दुओं पर अपना तथ्यात्मक टीप/दस्तावेज शीघ्र उपलब्ध कराने हेतु प्रस्ताव मूलतः वापस किया जा रहा है ।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

Rajput

(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग